राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः स. 3–2 (04) स्था / एपीओ / अभि / 16 / पार्ट–II / 581-630 दिनांकः– 27.06.2019

नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र कमांक एफ. 7 (25) भर्ती "क"/APO (Non-TSP)2013–14 / 1966 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद हेतु चयनित अभ्यार्थी श्री शिवपुरी पुत्र श्री गणेशपुरी, निवासी उस्तों की बारी के बाहर, राजू पब्लिक स्कूल के पास, बीकानेर को राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत निम्न शर्तो पर सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26 (1) में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष का परीविक्षा काल होगा। परीविक्षा काल में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 16 के अनुसार परिवीक्षाकाल की कालावधि में अनुसूची iv[th] के अनुसार नियत पारिश्रमिक एल–11 में रुपये 26500 / – देय होगी।

2. श्री शिवपुरी उपस्थिति दिनांक से 10 दिवस तक संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन रहेगे। देय नियत पारिश्रमिक में से जीपीएफ एवं राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी तथा इन्हें किसी प्रकार का भत्ता यथा विशेष वेतन, महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ऐडहोक बोनस आदि देय नहीं होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में कार्य ग्रहणकाल एवं कार्यग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्यग्रहण करने के पश्चात् राजकीय कार्य के लिए की गयी यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण होने पर मील भत्ता नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यदि एक कलेण्डर वर्ष से कम सेवा की अवधि हो तो उसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश की गणना की जायेगी।

3. श्री शिवपुरी, सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनूसूचि 1[st] (पार्ट –1) नियम–5 (V) के अनुसार पे–मेट्रिक्स में पे–लेवल (एल–11) में न्युनतम देय होगी। नये भर्ती नियमों के अनुसार इनको अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. श्री शिवपुरी आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने अंकित सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट / सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यार्थी नियुक्त के समय संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उनके संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पद ग्रहण करने की तिथि तक उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त नवनियुक्त वे सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं है।

27/07/19

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. क्रिमीनल अपील 894/2005 सोहनपुरी व शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय/आदेश के अध्ययधीन एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 5283/2018 शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय 15.04.2019 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा खण्डपीठ में पेश विशेष अपील सीएनआर नं0 RJHC010333092019राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री शिवपुरी के निर्णयाधीन/आदेशाधीन (Subject to the Decision of the Appeal) एवं माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में भर्ती से संबंधित याचिकाओं के अध्ययधीन उक्त नियुक्ति प्रदान की जाती है।

उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है: –

क्र.सं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन न्यायालय का नाम
1.	68	श्री शिवपुरी पुत्र श्री गणेश पुरी निवासी उस्तो की बारी के बाहर राजू पब्लिक स्कुल के पास, बीकानेर (राज.) 334005	ओ.बी.सी. (सामान्य पद के विरूद्ध चयनित)	18.01.1979	न्या. सी.जे. (जे.डी.)जे.एम., फलोदी, जोधपुर

आज्ञा से,

27/06/19

(एस. एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
8. सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर अवगत करावें।
9. सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
10. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय/
11. रक्षित पत्रावली।

27/06/19

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।